न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
382/2025

दायर दिनांक
06.07.2025

निर्णय दिनांक
21-08-2025

उनवान

1. ललीता कावडिया पत्नि शांति लाल कावडिया, निवासी 6 आई–22 आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाडा (राज)।

–प्रार्थीया

बनाम

1. कंकु पुत्री मोती जाट निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
2. कंकू पत्नि देवी लाल जाट निवासी मण्डपिया स्वरूपगंज, जिला भीलवाडा (राज.)
3. खुशी पुत्री भैरु जाट उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गीता पत्नि भैरू जाट निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
4. गुंजन पुत्री भैरू जाट उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गीता पत्नि भैरू जाट निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
5. गीता पत्नि भैरू जाट निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
6. नैना पुत्री भैरू जाट उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गीता पत्नि भैरू जाट निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
7. पुजा पुत्री भैरू जाट उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गीता पत्नि भैरू जाट निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
8. प्रियंका पुत्री भैरू जाट उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गीता पत्नि भैरू जाट निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
9. ओमप्रकाश पुत्र उदयलाल जाट निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. जमनी पत्नि उदय लाल जाट निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. महेन्द्र पुत्र उदय लाल जाट निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. हीरा लाल पुत्र गणेश जाट निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. देवकरण पुत्र जगन्नाथ तेली निवासी अगरपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. नाराणी पुत्री जगन्नाथ तेली निवासी अगरपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.)
15. बक्शु लाल पुत्र जगन्नाथ तेली निवासी अगरपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.) (राज०)।
16. बाली पत्नि जगन्नाथ तेली निवासी अगरपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.)
17. कमला देवी पत्नि छीतरमल महाजन, नि0 कोठारी मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी, भीलवाडा।
18. रेखा पुत्री छीतरमल महाजन, निवासी कोठारी मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी भीलवाडा (राज)
19. राजेन्द्र कुमार पुत्र छीतरमल महाजन, नि0 कोठारी मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी भीलवाडा।
20. विजय कुमार पुत्र छीतरमल महाजन, नि0 कोठारी मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी भीलवाडा।
21. शान्तिलाल पुत्र सोहन लाल महाजन, नि0 कोठारी मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी भीलवाडा।
22. श्री तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज.)।

—— विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थीया श्री अभिमन्यु जोशी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 21 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 410 रकबा 0.8852 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 21 उपस्थित नहीं। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्यां 410 रकबा 0.8852 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा